बिहार सरकार

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना ।

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें ।

पत्रांक– 04/STA–(विविध)–20/2017 परि0–7331/पटना,दिनांक– 20/11/18

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक–06.07.2018 एवं 24.07.2018 को बिहार–पश्चिम बंगाल, बिहार–छत्तीसगढ़ एवं बिहार–उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट की स्वीकृति के लिए आहुत राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक में वाहन स्वामियों के वाहनों के पक्ष में इस शर्त के साथ स्थायी परमिट की स्वीकृति प्रदान की गयी थी कि क्रमशः दिनांक–17.08.2018 एवं 27.08.2018 तक परमिट निगर्मन हेतु सभी अद्यतन वैध कागजात एवं शुल्क के साथ आवेदन कार्यालय में समर्पित किया जायेगा । निर्धारित अवधि के पश्चात् कागजात/शुल्क समर्पित किये जाने की स्थिति में उनका परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा ।

वैसे वाहन स्वामी जिन्होंने राज्य परिवहन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में निर्धारित अवधि तक उनके वाहन के पक्ष में स्वीकृत परमिट के निगरमन हेतु अधूरा/त्रुटिपूर्ण कागजात समर्पित किया है, उन्हें एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि वे स्वीकृत परमिट के निर्गमन हेतु दिनांक–05.12.2018 के अपराह्न 4.00 बजे तक वाहन से संबंधित/अन्य सभी प्रकार के कागजात/शुल्क परिवहन विभाग के सिंगल विन्डो (एकल खिड़की) काउन्टर पर निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। निर्धारित समय एवं तिथि के उपरान्त समर्पित किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

परमिट निर्गमन हेतु समर्पित आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों की सूची विभागीय वेबसाइट http://transport.bih.nic.in पर पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है ।

20/11/18

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।